



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 62312

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1157/2026

शाह फैसल

..... पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शिव बहादुर सिंह, जफीर अहमद

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए. सर्वे नजीर, जफर अब्बास

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

प्रतिपक्षी संख्या 2 की ओर से दायर प्रति-शपथपत्र को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता/सूचनादाता के अधिवक्ता कोई प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं।

पुनरीक्षणकर्ता/सूचनादाता के अधिवक्ता और प्रतिपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान एजीए श्री राजीव कुमार सिंह को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्री का अवलोकन किया।

यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 102 के तहत दायर की गई है, जिसमें श्रीमान विशेष न्यायाधीश (पीओसीएसओ अधिनियम)- II/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा मामला संख्या 54/2025 के अंतर्गत धारा 70(2), 351(3), 115(2), 333 बी.एन.एस. और धारा 5जी/6 पीओसीएसओ अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन मेनथर, जिला मुरादाबाद में दर्ज से उत्पन्न आपराधिक अपील संख्या 72/2025 (शीर्षक: शाह फैसल बनाम राज्य एवं अन्य) में दिनांक 16.07.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा श्रीमान किशोर न्याय बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा प्रकीर्ण मामले संख्या 45/2025 (शीर्षक: राज्य बनाम ए) में दिनांक 27.05.2025 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियुक्त/प्रतिपक्षी संख्या 2 की आयु 18 वर्ष से अधिक है। इसके बावजूद, निचली अदालतों ने उसे गलत तरीके से किशोर माना है। निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा 21.05.2025 को आयु निर्धारण हेतु चिकित्सा परीक्षण के लिए दायर आवेदन पर मुरादाबाद किशोर न्याय बोर्ड द्वारा न तो कोई निर्णय लिया गया और न ही उस पर उचित विचार किया गया, तथा उसे बिना किसी औचित्य के लंबित रखा गया। निवेदन किया गया है कि न तो कोई मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, और न ही किसी नगर निगम, निगम या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड में लाया गया। कानून के तहत निर्धारित कोई भी विश्वसनीय दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। इन अनिवार्य दस्तावेजों के अनुपलब्ध होने के बावजूद, कोई चिकित्सा परीक्षण नहीं किया गया। निचली अदालतों ने कथित प्रथम विद्यालय, अर्थात् जेएस इंटर कॉलेज, पंडित नागला, मुरादाबाद द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर गलत तरीके से भरोसा किया है, जिसमें प्रतिपक्षी संख्या 2 की जन्म तिथि "23.06.2010" दर्ज है। निवेदन किया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 को उक्त विद्यालय में सीधे कक्षा द्वितीय में प्रवेश दिया गया था। जन्म तिथि केवल पिता के मौखिक कथन के आधार पर दर्ज की गई थी, बिना किसी सहायक दस्तावेज के। प्रधानाध्यापक ने स्वयं गवाही के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया। अतः, उक्त दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में कोई महत्व नहीं है और इसे आयु का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 इस मामले में लागू नहीं होती, क्योंकि विचाराधीन विद्यालय सरकारी संस्था नहीं है और प्रधानाध्यापक कानून की दृष्टि से लोक सेवक नहीं हैं। विद्यालय के अभिलेख में प्रविष्टियाँ किसी वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में नहीं की गई थीं, बल्कि केवल मौखिक बयान के आधार पर की गई थीं। अतः, उक्त अभिलेख को सार्वजनिक दस्तावेज या विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना जा सकता। गवाह संख्या 1 (प्रतिपक्षी संख्या 2 के पिता) और गवाह संख्या 2 के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, जो उनकी गवाही को अविश्वसनीय बनाते हैं। आगे निवेदन किया गया है कि गवाह संख्या 1 ने कहा कि प्रतिपक्षी संख्या 2 को प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया गया था और उसने कक्षा VI तक जेएम इंटर कॉलेज

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में अध्ययन किया, और उसके बाद, उसने दूसरे विद्यालय में अध्ययन किया। हालांकि, गवाह संख्या 2 ने कहा कि प्रतिपक्षी संख्या 2 को सीधे द्वितीय कक्षा में प्रवेश दिया गया था और उसने उसी संस्था में आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। इन विसंगतियों से स्कूल रिकॉर्ड और दावा की गई जन्मतिथि की सटीकता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। किशोर न्याय नियम, 2007 के नियम 12(3) के अनुसार, आयु निर्धारण अर्थात् मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र; या पहले जिस स्कूल में पढ़ाई की थी, वहां से जन्म प्रमाण पत्र; या नगर पालिका/पंचायत से जन्म प्रमाण पत्र; या चिकित्सा राय (उपरोक्त के अभाव में) एक क्रमबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में, कथित प्रथम विद्यालय प्रमाण पत्र अविश्वसनीय है; यहाँ तक कि कोई अन्य वैध दस्तावेज भी मौजूद नहीं है। इसलिए, चिकित्सा बोर्ड की राय प्राप्त की जानी चाहिए थी और ऐसा न करना वैधानिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 94 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिपक्षी संख्या 2 की ओर से दायर प्रति शपथपत्र के अनुलग्नक संख्या सीए-3, यानी प्रतिपक्षी संख्या 2 के दिनांक 04.06.2025 के जन्म प्रमाण पत्र की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है और यह प्रस्तुत किया है कि प्रतिपक्षी पक्ष संख्या 2 ने बोर्ड के समक्ष कभी भी अपना जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

निचली अदालतों ने वैधानिक आदेश का पालन किए बिना एक अविश्वसनीय दस्तावेज को यांत्रिक रूप से स्वीकार कर लिया है। आक्षेपित आदेश गंभीर कानूनी खामियों से ग्रस्त हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आदरपूर्वक निवेदन किया है कि निचली अदालतों ने दिनांक 27.05.2025 और 16.07.2025 के आक्षेपित आदेशों को पारित करते समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन करने में विफल रही हैं। दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत, मनमाने और कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के प्रावधानों के विरुद्ध हैं, और इसलिए, वे कानून की दृष्टि से मान्य नहीं हैं और न्याय के हित में उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

अपने तर्कों के समर्थन में, पुनरीक्षणकर्ता/शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, आपराधिक अपील संख्या 2012 (एस.एल.पी. (आप.) संख्या 2411/2011 से उत्पन्न)** के मामले में दिनांक 13.4.2012 को दिए **अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गए निर्णय और साथ ही इस न्यायालय के **सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में आपराधिक अपील संख्या 347/2018** में दिनांक 1.8.2025 को दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है।

विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय, **पी. युवाप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक (आपराधिक अपील संख्या 1898/2023)** पर भी भरोसा जताया है और पैरा '14' का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है:-

"14. जे.जे. अधिनियम की धारा 94 (2)(iii) स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि विद्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाना चाहिए; इसके अभाव में निगम, नगर पालिका या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया जा सकता है। इन दस्तावेजों के अभाव में ही आयु का निर्धारण संबंधित प्राधिकारी, अर्थात् समिति, बोर्ड या न्यायालय के आदेश पर आयोजित "अस्थि निर्धारण परीक्षण" या "किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण" के माध्यम से किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि केवल स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर विचार किया गया था, न कि जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र पर। प्रदर्श C1, अर्थात् विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र में पीड़ित की जन्म तिथि 11.07.1997 दर्शाई गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं, बल्कि न्यायालय द्वारा बुलाए गए गवाह, अर्थात् CW-1 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अपने आरोपों को साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है; इसलिए, अभियोजन पक्ष ऐसे दस्तावेज का सहारा नहीं ले सकता था जिसे उसने कभी प्रस्तुत नहीं किया हो। इस पर भरोसा किया गया। इसके अलावा, गवाह संख्या 3, संबंधित राजस्व अधिकारी (उप तहसीलदार) ने शपथ पर कहा था कि वर्ष 1997 के जन्म और मृत्यु संबंधी रिकॉर्ड गायब थे। चूंकि यह मात्र एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र था और धारा 94(2)(i) में उल्लिखित किसी भी प्रकार के दस्तावेज के विवरण के अनुरूप नहीं था, इसलिए यह मानने के लिए कि अपराध के समय एम 18 वर्ष से कम आयु का था, एक्स सी-1 पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान एजीए ने पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि निचली अदालतों के फैसले कानून के अनुसार हैं।

प्रतिपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने दस्तावेजी साक्ष्य, अर्थात् विद्यालय अभिलेख, छात्र पंजीकरण प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र (प्रति शपथपत्र का अनुलग्नक सीए-3) प्रस्तुत किए हैं, जिनमें उनकी जन्म तिथि "23.06.2010" ही अंकित है। यह तर्क दिया गया है कि कथित घटना की तिथि पर प्रतिपक्षी संख्या 2 की आयु लगभग 14 वर्ष थी और इस प्रकार वह किशोर की परिभाषा के अंतर्गत आता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि स्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार, उपरोक्त दस्तावेज आयु के पर्याप्त और विश्वसनीय प्रमाण हैं, और उनकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करने वाली किसी भी सामग्री के अभाव में, आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रतिपक्षी पक्ष संख्या 2 का विद्यालय में प्रवेश निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया था, और रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि उक्त दस्तावेज जाली या मनगढ़ंत हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि मुखबिर प्रतिपक्षी संख्या - 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का खंडन करने के लिए कोई ठोस या विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहा है। उपरोक्त दलीलों के आधार पर, विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की है कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

वर्तमान विवाद का निर्णय करने के लिए, किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 का अवलोकन आवश्यक है, जो इस प्रकार है:-

"94. आयु का अनुमान एवं निर्धारण।-

(1) जहाँ, समिति या बोर्ड को, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अलावा) उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की उपस्थिति के आधार पर यह स्पष्ट हो कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, तो समिति या बोर्ड बच्चे की आयु यथासंभव निकट बताते हुए ऐसा अवलोकन दर्ज करेगा और आयु की आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना, धारा 14 या धारा 36, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत जाँच करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) यदि समिति या बोर्ड को इस संबंध में संदेह के लिए उचित आधार हैं कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, साक्ष्य प्राप्त करके आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा-

(i) विद्यालय से जन्म प्रमाण पत्र, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध होने पर; और इसके अनुपलब्ध होने पर;

(ii) किसी निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र;

(iii) और केवल उपरोक्त (i) और (ii) के अनुपलब्ध होने पर, आयु का निर्धारण अस्थि-निर्माण परीक्षण या समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा।

बशर्ते कि समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित आयु निर्धारण परीक्षण ऐसे आदेश की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति की आयु के रूप में दर्ज की गई आयु, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी।

अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अनुसार, प्रथम दृष्टया, किसी किशोर की आयु निर्धारण के लिए, अधिनियम की धारा 94(2)(i) के प्रावधानों के अनुसार, विद्यालय से प्राप्त जन्म तिथि या संबंधित परीक्षा बोर्ड से प्राप्त मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त धारा में यह प्रावधान है कि यदि खंड (i) में दी गई जन्म तिथि उपलब्ध नहीं है, तो धारा 94(2)(ii) के प्रावधानों को प्राथमिकता दी जाएगी और धारा 94(2)(iii) के प्रावधानों के अनुसार, उपरोक्त दोनों खंडों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में, आयु का निर्धारण अस्थि-निर्माण परीक्षण या समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा।

वर्तमान मामले में, प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा पहले जिस विद्यालय में अध्ययन किया गया था, वह जेएस इंटर कॉलेज, पंडित नागला, मुरादाबाद द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, जिसके लिए उन्हें सीधे द्वितीय कक्षा में प्रवेश दिया गया था और स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अनुसार, प्रतिपक्षी संख्या 2 की जन्म तिथि "23.06.2010" है। साथ ही, उक्त विद्यालय में अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिपक्षी संख्या 2 के प्रवेश के संबंध में गवाह संख्या 1 (पिता) और गवाह संख्या 2 के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं।

उपरोक्त खंड का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि अधिनियम की धारा 94(2) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) के तहत प्रदान किए गए दस्तावेज उपलब्ध न होने पर ही अभियुक्त का अस्थिभवन परीक्षण कराया जा सकता है। उपरोक्त उपखंडों के अनुसार, उपखंड (i) या (ii) में उल्लिखित दस्तावेजों के अनुपलब्ध होने पर ही ओसिफिकेशन परीक्षण का सहारा लिया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में, किशोर न्याय बोर्ड ने उस विद्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है जिसे प्रथम विद्यालय बताया गया है। हालांकि, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि किसी ठोस दस्तावेज पर आधारित नहीं थी, बल्कि प्रवेश के समय पिता द्वारा मौखिक रूप से दी गई जानकारी पर आधारित थी। इसके अलावा, प्रतिपक्षी पक्ष संख्या 2 के प्रवेश और शिक्षा के संबंध में गवाह संख्या 1 और 2 के बयानों में विरोधाभास उक्त दस्तावेज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करते हैं। इसके अलावा, प्रतिपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा प्रति-शपथपत्र के साथ किशोर की जन्म तिथि के समर्थन में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज प्रथम दृष्टया विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। इन्हें संबंधित बोर्ड या अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं किया गया था। स्थानांतरण प्रमाण पत्र और नगर निगम, मुरादाबाद के रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि दर्ज करने के आधारों में भी विसंगतियां हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता द्वारा आयु निर्धारण हेतु चिकित्सा परीक्षण की मांग वाली याचिका पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसी स्थिति में, जहां प्राथमिक दस्तावेज ही संदिग्ध है, चिकित्सा परीक्षण की प्रार्थना पर विचार न करना वैधानिक आदेश का उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायालय का यह मत है कि विवादित आदेश साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन के बिना और अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किए गए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण अनियमितता और कानूनी खामी पाई गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तदनुसार, दिनांक 16.07.2025 और 27.05.2025 के आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किए जाते हैं।

तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है।

मामले को किशोर न्याय बोर्ड, मुरादाबाद को वापस भेजा जाता है ताकि प्रतिपक्षी संख्या 2 की आयु का निर्धारण कानून के अनुसार किया जा सके। बोर्ड उठाई गई आपत्तियों के आलोक में विद्यालय के अभिलेखों के साक्ष्य मूल्य पर पुनर्विचार करेगा और इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता और स्वीकार्यता की जाँच करेगा। दस्तावेजी साक्ष्य की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता के संबंध में किसी भी संदेह की स्थिति में, अधिनियम की धारा 94 के अनुसार चिकित्सा राय (ओसिफिकेशन परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम आयु निर्धारण परीक्षण) प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाए।

कार्यालय को इस आदेश की सूचना संबंधित न्यायालय को देने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

25 मार्च, 2026

बृजेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।